उनवान – धर्मसिंह / तहसीलदार, के० नं० – 507/16

25/6/21
[stamp text faint] ... दौरे पर ... पत्रावली दिनांक 30.6.21 को पेश हो।

30/6/21
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगत/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 13.07.21 को पेश हो।

13.7.21 पत्रावली पेश/ वकील उभयपक्ष उप०/ पूर्वानुसार दि० 14.7.21 को पेश हो।

14/7/21 पत्रावली पेश। प्रति. 2 ता 4 की ओर से अनापत्ति पेश। जवाब स्टेट पूर्व में शामिल पत्रावली हो चुका है। बहस दाआ सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 28.7.21 को पेश हो।

प्रतिवादी सं० 2 ता 4 प्रस्तुत दावे में की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

28.7.21 पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व जवाब स्टेट पर गौर किया गया। वाद अनुसार ग्राम मरियाड़ा के खाता सं. 105/136 के ख.नं. 142/ 2068 से गा मै.मु. रास्ता दर्ज है। इसी खाता से ख.नं. 147 रकबा 0.0926 है। गैमु. रास्ता खाता सं. में दर्ज की जमाबंदी के दौरान की गयी है। उक्त entry जमाबंदी में सं. 2016 रास्ता कभी भी मौके पर चालू नहीं रहा है। वाद के अनुसार उक्त ख.नं. 147 का उक्त रास्ता बंद होने का कथन किया है। जवाब स्टेट ने जमाबंदी में रास्ता सम्बंधी नयी entry सम्बंधित पक्षों की सहमति अथवा सक्षम न्याया. के आदेश बिना नहीं की जा सकती है।
सं. 2016 में भू प्रबंध द्वारा दर्ज उक्त मार्ग उससे पूर्व व पश्चात चालू नहीं रहा है।
पूर्व जमाबंदियों व मिलान क्षेत्र से यह साबित है, ख.नं. 147 व खाते की भूमि उनके पूर्वज मियामा पुत्र मोलमा की खातेदारी में पूर्व से दर्ज रही है, जो वर्तमान में विरासतन दर्ज होते हुये वादी व प्रति. 2 ता 13 के नाम दर्ज रिकार्ड है।
अत: ग्राम मरियाड़ा के ख.नं. 147 की भूमि वादी व प्रति. 2 ता 13 की खातेदारी [सं. 2016 से पूर्व व पश्चात की मौका व रिकार्ड स्थिति के अनुसरण में] में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। आदेश अनुसार डिक्री तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रणजीत सिंह)
28.7.21